

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

चंद्रिका राय एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.341

(के साथ 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 412

एवं 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 438)

24 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या रुन्नीसैदपुर थाना कांड संख्या 195/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 151/2014 एवं 586/2014/64/2015 में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 302, 149, 148 और 120 (बी)- शस्त्र अधिनियम, 1959- धारा 27- सूचक के पिता की अपीलकर्ताओं द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी- घटना के बाद, सभी आरोपी घटनास्थल से भाग गए- घटना भूमि विवाद के कारण हुई।

निर्णय: चिकित्सा गवाह तथ्य का गवाह होता है, हालांकि वह मामले के कुछ पहलुओं पर राय भी देता है—चिकित्सा गवाह का मूल्य केवल प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही की जांच नहीं है—यह स्वतंत्र गवाही भी है क्योंकि यह अन्य मौखिक साक्ष्य से बिल्कुल अलग कुछ तथ्य स्थापित कर सकता है—यदि चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य के बीच या दो डॉक्टरों के चिकित्सा साक्ष्य के बीच असंगति या विसंगति है, जिनमें से एक ने घायल व्यक्ति की जांच की और दूसरे ने घायल व्यक्ति की मृत्यु के बाद या चोटों के संबंध में शव परीक्षण किया, तो आपराधिक मामलों में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है—तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से, मृतक जिस मोटरसाइकिल पर बैठा था, उसके बाईं ओर से गोलीबारी हुई और उक्त गोलीबारी 7-9 फीट की दूरी से हुई—डॉक्टर के बयान से, यह कहा जा सकता है कि आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करीब से किया गया था, यानी 1-3 फीट के भीतर और आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल मृतक के सामने की तरफ से किया गया था—चिकित्सा

और नेत्र संबंधी साक्ष्य के बीच विरोधाभास—जांच अधिकारी ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज नहीं की, न ही घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी एकत्र की, न ही मृतक जिस मोटरसाइकिल पर बैठा था उसे जब्त किया और न ही घटनास्थल पर खाली कारतूस, गोली या छर्चे पाए—अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय गंभीर त्रुटि की है—अपीलें स्वीकार की जाती हैं—दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश अपास्त किया जाता है—अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है और साथ ही उन्हें उनके जमानत बांड के दायित्वों से भी मुक्त किया जाता है। (कंडिका 2, 31 से 35)

न्याय दृष्टान्त

मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह, (2020) 12 एससीसी 630; सम्राट बनाम नजीर अहमद, एआईआर (32) 1945 प्रिवी काउंसिल 18; कृष्णगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2017 एससी 1657; संजय खंडेराव वडाने बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2017) 11 एससीसी 842—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; शस्त्र अधिनियम, 1959

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या, गोली लगने से चोट, चिकित्सा साक्ष्य, नेत्र साक्ष्य, शव परीक्षण, कारतूस, गोली या पेलेट, चिकित्सा गवाह, प्राथमिकी।

प्रकरण से उत्पन्न

रुन्नीसैदपुर थाना कांड संख्या 195/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 151/2014 एवं 586/64/2015 में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 28.02.2019 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.341 में)

अपीलार्थियों के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्रीमती किरण कुमारी, अधिवक्ता;

श्री ऋत्विक् ठाकुर, अधिवक्ता; श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो.अ

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.412 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री राधेश्याम शर्मा, अधिवक्ता; सुश्री स्मिती भारती, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सत्य नारायण प्रसाद, स.लो.अ

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.438 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री इम्तियाज अहमद, अधिवक्ता; श्री

प्रवीण कुमार, अधिवक्ता; श्री पुरुषोत्तम कुमार, अधिवक्ता; श्रीमती किरण कुमारी, अधिवक्ता;

श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा, स.लो.अ

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.341**

थाना कांड सं.-195 वर्ष-2012, थाना-रुन्नीसैदपुर जिला-सीतामढ़ी से उद्धृत

- =====
- (1) चंद्रिका राय, उम्र लगभग 66 वर्ष (पुरुष), पिता- स्वर्गीय जिया राय
- (2) श्याम राय, उम्र लगभग 62 वर्ष (पुरुष), पिता- जिया राय
- (3) कृष्ण कांत केसरी, उम्र लगभग 40 वर्ष (पुरुष), पिता- श्याम राय
- सभी निवासी, गांव- सिरखिरिया, थाना रुन्नीसैदपुर, जिला- सीतामढ़ी

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. प्रतिवादी/ओं

के साथ

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 412

थाना कांड सं.-195 वर्ष-2012, थाना-रुन्नीसैदपुर जिला-सीतामढ़ी से उद्धृत

=====

चिरंजीवी सागर उर्फ चिरंजीवी भगत, आयु लगभग 34 वर्ष, पुरुष, पिता- विन्देश्वर भगत,
निवासी, गांव- हसपुरवा बात, थाना रुन्नीसैदपुर, जिला- सीतामढ़ी।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. प्रतिवादी/ओं

के साथ

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 438

थाना कांड सं.-195 वर्ष-2012, थाना-रुन्नीसैदपुर जिला-सीतामढ़ी से उद्धृत

=====

अनिल सिंह उर्फ अनिल कुमार सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष (पुरुष), पिता- स्वर्गीय बलिराम सिंह,
निवासी, गाँव- न्यूरी, थाना रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. प्रतिवादी/ओं

उपस्थिति:

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.341 में)

अपीलार्थियों के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
 श्रीमती किरण कुमारी, अधिवक्ता
 श्री ऋत्विक् ठाकुर, अधिवक्ता
 श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो.अ

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.412 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री राधेश्याम शर्मा, अधिवक्ता
 सुश्री स्मिती भारती, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सत्य नारायण प्रसाद, स.लो.अ

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.438 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
 श्री इम्तियाज अहमद, अधिवक्ता
 श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता
 श्री पुरुषोत्तम कुमार, अधिवक्ता
 श्रीमती किरण कुमारी, अधिवक्ता
 श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, स.लो.अ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली**और****माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा****मौखिक निर्णय****(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)****तारीख:24-08-2023**

ये अपीलें अपीलार्थियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन दाखिल की गई हैं, दिनांक 28.02.2019 को प्रदत्त दोषसिद्धि तथा दण्डादेश के विरुद्ध, जो कि माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा सत्र वाद सं. 151 वर्ष 2014 + 586 वर्ष 2014/64 वर्ष 2015 में पारित किया गया था, जो रुन्नीसैदपुर थाना मामला सं. 195 वर्ष 2012 से उत्पन्न हुआ था। उक्त वाद में अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 302, 149, 148 तथा 120(बी) एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है, जिसमें अपीलार्थी अनिल सिंह, चन्द्रिका राय, कृष्णकान्त केसरी और श्याम राय को आजीवन कारावास भोगने तथा प्रत्येक को रु. 20,000/- का अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया गया; साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को रु. 2,000/- का अर्थदण्ड देने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी चिरंजीवी भगत उर्फ चिरंजीवी सागर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा रु. 20,000/- का अर्थदण्ड, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा रु. 2,000/- का अर्थदण्ड और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत भी 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा रु. 2,000/- का अर्थदण्ड भुगतने का आदेश दिया गया। अर्थदण्ड की अदायगी में चूक होने पर अपीलार्थियों को एक वर्ष का कठोर कारावास भोगना होगा। सभी दण्डों को साथ-साथ चलने का आदेश पारित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:-

नितेश कुमार का फर्दबयान थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर के एस. आई. आर.के. सिंह द्वारा दिनांक 02.07.2012 को सायं लगभग 09:15 बजे एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर के आपातकालीन वार्ड में दर्ज किया गया, जिसमें प्रथम सूचनादाता ने कहा कि उसके पिता कामता राय 02.07.2012 को सब्जी खरीदने के लिए सिरखिरिया बाजार गये थे और जब वे घर लौट रहे थे तब उनके साथ एक कैलाश राय तथा रामानन्द राय भी थे। लगभग 04:00

बजे बाज़ार में पश्चिम दिशा की ओर जानेवाली सड़क के पास एक टेम्पो खड़ा था। आरोप है कि चिरंजीवी भगत, उसका चचेरा भाई, मंदू राय और बिंदेश्वर भगत पिस्तौल से लैस होकर उस खड़े टेम्पो के पीछे से आये और तत्पश्चात चिरंजीवी भगत ने गोली चलाई, जो सूचनादाता के पिता की छाती पर लगी। इसी प्रकार मंदू राय ने भी गोली चलाई, जो सूचनादाता के पिता के बाएँ हाथ की कलाई पर लगी। चिरंजीवी का चचेरा भाई भी अपनी पिस्तौल से गोली चलाया, जो सूचनादाता के पिता की बाईं जाँघ पर लगी। इसके उपरान्त बिंदेश्वर भगत ने अपनी पिस्तौल से हवाई फायरिंग की। यह भी आरोप है कि अनिल सिंह, चन्द्रिका राय और श्याम राय भी सूचनादाता के पिता की हत्या की योजना बना रहे थे तथा वे आग्नेयास्त्र से मार देने की धमकी दे रहे थे। यह भी कहा गया है कि घटना के बाद सभी अभियुक्त बाज़ार के दक्षिणी भाग की ओर से घटना स्थल से भाग गये। अभियोजन का कथन है कि यह घटना भूमि विवाद के कारण घटित हुई थी, जो चिरंजीवी भगत, श्याम राय तथा कैलाश महतो के बीच चल रहा था। यह भी कहा गया कि घटना के बाद सूचनादाता के घायल पिता को टेम्पो से एस.के.एम.सी.एच. ले जाया गया, किन्तु वहाँ पहुँचने पर उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गयी।

3. उपर्युक्त फर्दबयान के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन 03.07.2012 को प्रातः लगभग 11:30 बजे भा.दं.सं की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया गया। जाँच अधिकारी ने तत्पश्चात जाँच प्रारम्भ किया और जाँच के क्रम में गवाहों का बयान दर्ज किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किये और जाँच उपरान्त सह अभियुक्त मंदू राय उर्फ मंदू राय के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। अन्य अभियुक्त उपलब्ध नहीं थे, अतः उन्हें फरार दिखाया गया। तथापि यह उल्लेखनीय है कि तत्पश्चात कुछ अभियुक्त पकड़े गये और उनके विरुद्ध पृथक आरोपपत्र दाखिल किये गये। उक्त सह-अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा भी संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा अलग से चलाया गया था।

4. जाँच अधिकारी ने उपर्युक्तानुसार सहअभियुक्त भंदू राय उर्फ मंदू राय के विरुद्ध सम्बन्धित दण्डाधिकारी न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। किन्तु मामला विशिष्ट रूप से सत्र न्यायालय में विचारणीय होने से, विद्वान दण्डाधिकारी ने इसे संहिता की धारा 209 के अधीन सम्बन्धित सत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया और मृतक के पूछताछ प्रतिवेदन तथा मरणोत्तर परीक्षण प्रतिवेदन सहित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थियों/अभियुक्तों का अतिरिक्त बयान भी दर्ज किया गया और मुकदमे के समापन के बाद विचारण न्यायालय ने उपर्युक्तानुसार अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दण्डादेश पारित किया। दोषसिद्धि के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थियों ने वर्तमान अपीलें दायर कीं, जिन्हें स्वीकृत किया गया और आज अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर और श्री राधेश्याम शर्मा को सुना और प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ को।

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने विचाराधीन घटना के पांच तथाकथित चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की थी, अभि.सा.-8, रामानंद राय और अभि.सा.-7, राम सकल राय ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन नहीं किया है और इसलिए उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है। यह दलील दी जाती है कि इसलिए अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों, अभि.सा.-3, नितीश कुमार, अभि.सा.-1, कैलाश राय और अभि.सा.-2, भाग्य नारायण द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया है। विद्वान अधिवक्ताओं ने उपरोक्त तथाकथित चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया है और उसके बाद तर्क दिया है कि हालांकि अभि.सा.-3 पहला सूचनादाता और मृतक का बेटा है, उसने इस घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में खुद को पेश करते हुए न्यायालय के समक्ष

बयान देते हुए पहली बार कहानी सुनाई थी। यह दलील दी जाती है कि सूचनादाता द्वारा दिए गये फ़र्दबयान अथवा उसके द्वारा आगे दिये गये अतिरिक्त कथन में उस गवाह ने वह घटना-क्रम नहीं बताया, जिसे उसने न्यायालय में पहली बार अपनी गवाही के दौरान प्रस्तुत किया और इस प्रकार अभि. सा.-3 के कथन में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाया गया। यह भी दलील दिया गया कि इसी प्रकार अभि. सा.-1 तथा अभि. सा.-2 मृतक के निकट संबंधी हैं और उन्होंने जाँच के समय पुलिस के समक्ष दिये गये अपने कथन में घटना किस प्रकार घटी, इसका विवरण नहीं दिया। किन्तु न्यायालय में अपनी गवाही के दौरान इन गवाहों ने पहली बार भिन्न घटना-क्रम सुनाया। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने अभि. सा.-5 हरिश्चन्द्र ठाकुर, जो कि जाँच अधिकारी थे और जिन्होंने जाँच संपन्न की, की गवाही का उल्लेख किया। दलील दी गई कि उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त सभी तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने न्यायालय में अपनी गवाही देते समय पहली बार अलग घटना-क्रम दलील दी और इस प्रकार उनकी गवाहियों में महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित होता है।

7.1. विद्वान अधिवक्ता ने तत्पश्चात् अभि. सा.-4 डॉ. बिपिन कुमार की गवाही का उल्लेख किया, जिन्होंने मृतक का शव-परीक्षण किया था। अधिवक्ता ने मृतक की शव-परीक्षण प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया और तत्पश्चात् यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष तथा तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन के अनुसार हमलावर दक्षिणी दिशा से आए और आग्नेयास्त्र से गोली चलाई, जिससे सूचनादाता के पिता घायल हुए। किन्तु अभि. सा.-4 डॉ. बिपिन कुमार ने विशेष रूप से कहा कि घावों से प्रतीत होता है कि मृतक पर गोली सीधे सामने से चलाई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि अभियोजन पक्ष के अनुसार गोलीकांड लगभग 7-9 फीट की दूरी से हुआ था, जबकि डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से राय दी कि गोली नज़दीक से, अर्थात् 1-3 फीट की दूरी से चलाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में मृतक के शरीर पर हुए घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है और इस प्रकार का घाव

सामान्यतः, बिना चिकित्सकीय सहायता के, अत्यंत अल्प समय में मृत्यु कारक होता है। उक्त चिकित्सक ने आगे यह भी कहा कि निकास घाव प्रवेश घाव की तुलना में ऊपरी स्तर पर पाए गए। विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर दलील दी कि डॉक्टर की दी हुई राय स्पष्ट करती है कि उपर्युक्त तीनों अभियोजन साक्षी वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, बल्कि उन्हें कृत्रिम रूप से प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, घायल पिता को पहले बाजार से घर लाया गया और लगभग 10-15 मिनट बाद उन्हें टेम्पो से तथा तत्पश्चात् एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया और जब वे अस्पताल पहुँचे तो घायल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। विद्वान अधिवक्ता ने गवाहों की गवाही के प्रासंगिक भाग पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि घटना 04:00 बजे अपराह्न हुई और घायल लगभग 07:00 बजे अस्पताल लाया गया, अर्थात् तीन घंटे बाद, और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार यह विश्वास करना असंभव है कि घायल ऐसे गंभीर घाव लगने के बाद तीन घंटे तक जीवित रहा, जैसा कि डॉक्टर ने वर्णन किया है। अतः यह निवेदन किया गया कि वर्तमान अपील स्वीकार की जाए और दोषसिद्धि संबंधी आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया जाए।

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान स.लो.अ ने इस अपील का विरोध किया है। विद्वान स.लो.अ मुख्य रूप से प्रस्तुत करेंगे कि तीन चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है और न्यायालय के समक्ष उस तरीके से गवाही दी है जिसमें घटना हुई थी। आगे यह दलील दी जाती है कि चिकित्सकीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों द्वारा बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि करता है और अतः केवल इसलिए कि जाँच करने के दौरान जाँच में कुछ कमी रह गई, उसका लाभ अपीलार्थी/दोषसिद्ध/अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

8.1. विद्वान स.लो.अ ने तत्पश्चात यह दलील दी कि अभियोजन ने अभियुक्तों द्वारा कथित अपराध करने के पीछे का उद्देश्य भी सिद्ध कर दिया है और अतः जब अभियोजन ने अपीलार्थी/अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित कर दिया है, तब इस न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

9. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए निवेदनों पर विचार किया है। हमने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है।

10. अभि.सा.-3, नितीश कुमार प्रथम सूचनादाता हैं, जिन्होंने दिनांक 02.07.2012 को रात्रि लगभग 09:15 बजे एस.आई. आर.के. सिंह, आहियापुर थाना, जिला-मुजफ्फरपुर के समक्ष एस.के.एम.सी.एच. में प्रथम फर्दबयान दर्ज कराया था। अभियोजन साक्षी-1, जो मृतक कामता राय के पुत्र हैं, ने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 02.07.2012 को अपराह्न लगभग 03:30 बजे एक रमण राय उनके घर आया और उसके बाद उनके पिता उक्त व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर गए। इस बीच वह अपनी माता सुमित्रा देवी के साथ कमरे में बैठे थे। उसी समय उन्होंने सुना कि चन्द्रिका राय फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था— “मधुमक्खी उड़तओ, हमहु आ गइले, रमण के साथ मोटरसाइकिल से सिरखिरिया बाज़ार गेल ह” तत्क्षण, लगभग पाँच मिनट बाद ही चन्द्रिका राय, कृष्णकांत केसरी और अनिल सिंह मोटरसाइकिल से अपने घर से निकलकर सिरखिरिया बाज़ार चले गए। उक्त गवाह को इस पर आशंका हुई कि कोई अनिष्ट घटना घट सकती है और अतः वह अपने चचेरे भाई मुन्ना के साथ बाज़ार पहुँचा। उसने देखा कि उसके पिता, रमण राय और कैलाश राय सब्जी खरीद रहे थे। उसने अपने पिता को चन्द्रिका राय की टेलीफोन वार्ता की सूचना दी। उसके पिता ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि जब भी वह घर से बाहर

निकलते हैं, चन्द्रिका राय, श्याम राय और कृष्णकांत केसरी यही सूचना चिरंजीवी भगत को दे देते हैं। उसके पिता और रमण राय लगभग 04:00 बजे मोटरसाइकिल पर बैठे। उसने देखा कि बाज़ार में पश्चिम दिशा जाने वाली सड़क पर एक टेम्पो खड़ा था। अचानक, चिरंजीवी भगत, बिन्देश्वर भगत, अरुण भगत, मंदू राय और राकेश कुमार पिस्तौल लेकर उस टेम्पो के पास से निकलकर आए और गोली चलाने लगे। इस घटना में उसके पिता को गोली लगी और वे गिर पड़े। उक्त गवाह ने आगे कहा कि उसके पिता को तीन गोली लगी थी। यह भी कहा कि मंदू राय की पिस्तौल से चलाई गई गोली उसके घायल पिता की बाईं कलाई में लगी, चिरंजीवी भगत की पिस्तौल से चलाई गई गोली उनके पेट के बाएँ हिस्से में लगी, जबकि अरुण भगत की पिस्तौल से चलाई गई गोली जाँघ में लगी। अन्य दो व्यक्ति, अर्थात् बिन्देश्वर भगत और राकेश कुमार ने दो कुत्तों पर भी गोली चलाई, जिससे एक कुत्ते की मृत्यु हो गई। इसके बाद, उसने कैलाश राय की सहायता से घायल पिता को मोटरसाइकिल पर घर पहुँचाया और तत्पश्चात टेम्पो से उन्हें एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर ले जाया गया। रास्ते में उसने अपने संबंधियों को फोन पर सूचना दी और परिणामस्वरूप, उसके संबंधी एम्बुलेंस लेकर आए और उसके पिता को उक्त अस्पताल एम्बुलेंस से पहुँचाया गया।

10.1. प्रति-परीक्षण के दौरान उक्त गवाह ने कहा कि उसका घर सिरखिरिया बाज़ार से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त गवाह ने प्रति-परीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने दक्षिण दिशा से पिस्तौल से गोलीबारी की थी और वह भी लगभग पाँच कदम (लगभग 7 – 9 फीट) की दूरी से। जब गोली उसके पिता को लगी, तब वे रमण राय के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, जो उनके पीछे बैठे थे। उसने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल को जाँच अधिकारी को दिखाया गया था, किन्तु उक्त जाँच अधिकारी ने उस मोटरसाइकिल को ज़ब्त नहीं किया। रमण राय को उक्त गोलीबारी में कोई चोट नहीं लगी। यद्यपि घटना के समय वहाँ पर लोग इकट्ठे थे, फिर भी किसी को चोट नहीं पहुँची। उक्त गवाह ने आगे स्वीकार किया कि उसके पिता को प्रारम्भ में लगभग 04:30 बजे घर लाया

गया था, किन्तु उसने गाँव से डॉक्टर को नहीं बुलाया और न ही बाज़ार में किसी डॉक्टर को बुलाया गया। वे लगभग 10 मिनट तक अपने घर पर रुके और उसके बाद पिता को टेम्पो से ले जाया गया। उसने आगे कहा कि उसका बयान पहली बार दिनांक 02.07.2012 को रात्रि लगभग 09:15 बजे दर्ज किया गया। उसने उक्त फर्दबयान में सही तथ्य बताए। इसके बाद उसका दूसरा बयान दिनांक 03.07.2012 को सायं लगभग 05:00 बजे दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने भी उक्त गवाह की गवाही में विरोधाभासों की ओर ध्यान दिलाया। इन गवाहों ने यह भी कहा कि वे लगभग 07:00 बजे एस.के.एम.सी.एच. पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उसने अपने मोबाइल से पुलिस अधीक्षक और रुन्नीसैदपुर थाना को सूचना दी। उस सूचना में उसने किसी भी हमलावर का नाम नहीं बताया था और केवल इतना कहा था कि उसके पिता को आग्नेयास्त्र से चोटें आई हैं।

11. मुख्य-परीक्षण में अभि.सा.-1 कैलाश राय ने कहा कि घटना के दिन लगभग 04:15 बजे वह सिरखिरिया बाज़ार में सब्जी खरीदने गया था। उस समय उसकी मुलाकात कामता राय और रमण राय से हुई, जो दोनों भी वहाँ सब्जी खरीद रहे थे। तभी कामता राय का पुत्र नितीश राय और उसका चचेरा भाई वहाँ पहुँचे और कामता राय को बताया कि घर से निकलने के बाद चंद्रिका राय ने चिरंजीवी को फ़ोन पर सूचना दी कि 'बाज़ार में मधुमक्खी उड़ती, हमहूँ बाज़ार आवही'। इस पर उक्त गवाह ने कामता राय से कहा कि उन्हें तुरंत बाज़ार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कामता राय ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रमण राय के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, यह देखा गया कि मोटरसाइकिल से दक्षिण दिशा की ओर लगभग पाँच फ़ीट की दूरी पर एक टेम्पो खड़ा था। उसी टेम्पो के पीछे से चिरंजीवी भगत, अरुण भगत, मंदू राय, बिंदेश्वर भगत और राकेश राय निकलकर आए और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कामता राय को चोट लगी। रमण राय, जो पीछे बैठे थे, मोटरसाइकिल से कूदकर भाग गए। उसी समय श्याम राय, चंद्रिका राय, कृष्णकांत केसरी और अनिल सिंह, कामता राय के संबंध में चिरंजीवी को

सूचना दे रहे थे। उक्त गवाह ने आगे कहा कि कामता राय के साथ एक कुत्ता भी बाज़ार आया था और एक गोली उस कुत्ते को भी लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद घायल कामता राय को उक्त गवाह ने नीतीश के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से उनके घर पहुँचाया और उसके बाद उन्हें टेम्पो से मुजफ्फरपुर चिकित्सा कॉलेज ले जाया गया। रास्ते में एम्बुलेंस आ गई और घायल को उसी एम्बुलेंस में उक्त अस्पताल पहुँचाया गया। घटना का कारण बताते हुए उक्त गवाह ने कहा कि चिरंजीवी और कामता राय के बीच ज़मीन का विवाद था तथा चंद्रिका राय और कामता राय के बीच रास्ते को लेकर भी विवाद था।

11.1. प्रति-परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने कहा कि घटना के समय, नीतेश भी 5-7 कदम की दूरी पर खड़ा था और हमलावरों ने नीतेश या उसके चचेरे भाई या रमन पर गोली नहीं चलाई। उक्त गवाह ने आगे कहा कि उन्होंने घटना के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया। उक्त गवाह ने आगे कहा कि वह कुछ मिनटों के लिए कामता राय के घर पर रहा और उसके बाद, घायल को मुजफ्फरपुर चिकित्सा कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि जब पुलिस चिकित्सा कॉलेज आई तो उन्होंने पुलिस को अपना बयान नहीं दिया। पुलिस ने अगले दिन शाम 5 बजे उसका बयान दर्ज किया। पुलिस द्वारा उनका आगे का बयान भी दर्ज किया गया।

12. अभि.सा.-2, भाग्य नारायण ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि घटना की तारीख को लगभग 4 बजे शाम को वह सिरखिरिया बाजार में 'गमछा' खरीदने गया था। उस समय उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा, तो कामता राय और रमन राय मोटरसाइकिल पर बैठे थे और उस समय बिंदेश्वर भगत, चिरंजीवी भगत, अरुण भगत, भट्ट राय उर्फ मंदू राय और राकेश कुमार अपने हाथों में पिस्तौल लेकर उक्त स्थान पर आए और गोलीबारी शुरू कर दी। उक्त घटना में, कामता राय को बाईं कलाई, जांघ और पेट में चोटें आईं।

12.1. प्रति-परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने कहा कि मृतक कामता राय उसका सौतेला भाई था। गोलीबारी खत्म होने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कामता राय घायल हालत में पड़े हुए हैं। उक्त गवाह कामता राय के घर के बगल में रहता है। पुलिस ने अगले दिन शाम करीब 4 से 5 बजे उसका बयान दर्ज किया।

13. अभि.सा.-8, रामानंद राय और अभि.सा.-7, राम सकल राय ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन नहीं किया है और इसलिए उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

14. अभि.सा.-5, हरिश्चंद्र ठाकुर, जिन्होंने जाँच की थी, ने अपने प्रमुख जाँच में कहा है कि 02.07.2012 को, वह रुन्नीसैदपुर थाना के एस. एच. ओ. (स्टेशन हाउस अधिकारी) के रूप में काम कर रहे थे। उस समय उन्हें लगभग 17:00 बजे (शाम 5:00 बजे) सूचना प्राप्त हुई कि सिरखिरिया बाजार में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। अतः उन्होंने उक्त सूचना थाना डायरी में दर्ज की और तत्पश्चात घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया। जब वे गाँव-सिरखिरिया पहुँचे तो वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि गाँव-सिरखिरिया निवासी स्व. तेजनारायण राय के पुत्र कामता राय को हमलावरों ने गोली मार दी है और उपचार हेतु उन्हें एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर ले जाया गया है। अतः उन्होंने एक व्यक्ति को उक्त अस्पताल भेजा और स्वयं घटनास्थल पर ही रहे। अगले दिन अर्थात् 03.07.2012 को एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर से एक व्यक्ति फर्दबयान लेकर आया, जिसके आधार पर सम्बन्धित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्पश्चात उन्होंने जाँच अपने हाथ में ली। उन्होंने यह भी गवाही दी कि उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ खून के धब्बे पाए, किन्तु उन्हें संकलित नहीं किया। इसके बाद उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए, शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की और जाँच उपरांत मंजू राय के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद

अभि.सा.-6 सुमन कुमार मिश्र ने आगे की जाँच की, अभियुक्त अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया।

14.1. प्रति-परीक्षण के दौरान उन्होंने कहा था कि केस डायरी में उन्होंने स्टेशन डायरी नंबर नहीं लिखा था। वह एक घंटे के भीतर जीप में सिरखिरिया गाँव पहुँच गए। उस स्थान पर घटना के बारे में, एकत्र हुए लोगों ने उन्हें सूचित किया कि हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में कामता राय घायल हो गए थे और उन्होंने केस डायरी में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने संपूर्ण रात्रि घटनास्थल पर ही व्यतीत की और अगले दिन प्रातः लगभग 9:00-9:30 बजे फर्दबयान प्राप्त किया। तत्पश्चात् लगभग 15:30 बजे (3:30 अपराह्न) उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके उपरांत गवाहों के बयान दर्ज किए। प्रति-परीक्षण में उक्त गवाह ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि गवाह नितेश ने पुलिस के समक्ष दर्ज अपने बयान में वह विवरण नहीं बताया था, जिस प्रकार घटना हुई, जैसा कि उसने न्यायालय में अपनी गवाही में कहा है। इसी प्रकार जाँच अधिकारी ने यह भी कहा कि गवाह कैलाश राय ने भी पुलिस के समक्ष दर्ज बयान में घटना की पूरी परिस्थितियाँ नहीं बताई थीं, जिन्हें अब उसने न्यायालय में अपने साक्ष्य में कहा है। इसी प्रकार प्रति-परीक्षण में गवाह भाग्य नारायण राय ने भी 03.07.2012 को दर्ज अपने बयान में वह तथ्य नहीं बताया था, जिन्हें अब उसने न्यायालय में अपनी गवाही में प्रस्तुत किया है। जाँच अधिकारी ने आगे यह भी स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल से खून एकत्र नहीं किया और न ही उसे कोई गोली, खोखा अथवा छर्रे प्राप्त हुए। उक्त गवाह ने यह भी कहा कि जिस मोटरसाइकिल पर कामता राय बैठे थे, उसे न तो उसने ज़ब्त किया और न ही किसी ने उसके समक्ष प्रस्तुत किया।

15. अभि.सा.-4 डॉ. बिपिन कुमार वह गवाह हैं जिन्होंने मृतक कामता राय के शव का शवपरीक्षण किया। उक्त डॉक्टर ने निम्नलिखित चोटें पाई:-

“(i) एक अंडाकार घाव, आकार 1 इंच x 1/2 इंच x गुहा तक गहरा, जो बाएँ ऊपरी पेट के भाग पर बाईं स्तनाग्र से 2 इंच बाहर तथा 5 इंच नीचे स्थित था। इसके किनारे भीतर की ओर धंसे हुए थे तथा चारों ओर काला धब्बा था। — यह प्रवेश घाव था।

(ii) एक अंडाकार घाव, आकार 1.5 इंच x 1 इंच, बाएँ वक्ष (छाती) के पीछे मध्य भाग पर पाया गया। इसके किनारे बाहर की ओर निकले हुए थे। — यह निर्गम घाव था।

चौर-फाड़ (विच्छेदन) करने पर

यह स्पष्ट हुआ कि घाव सं. (i) और (ii) आपस में जुड़े हुए थे। गोली अपने मार्ग में यकृत (जिगर) और बाएँ फेफड़े को भेदते हुए पीछे की पसली को तोड़कर घाव सं. (ii) से बाहर निकल गई। छाती और पेट दोनों गुहाओं में रक्त भरा हुआ था।

(iii) एक अंडाकार घाव, आकार 1 इंच x 1/2 इंच x पेशी तक गहरा, बाएँ अग्र-भुजा पर कलाई से 5 इंच ऊपर पाया गया। किनारे भीतर की ओर धंसे हुए थे तथा चारों ओर काला धब्बा था। — यह प्रवेश घाव था।

(iv) एक अंडाकार घाव, आकार 1.5 इंच x 1 इंच, बाएँ अग्र-भुजा के पिछले भाग पर कलाई से 6 इंच ऊपर पाया गया। इसके किनारे बाहर की ओर निकले हुए थे। — यह निर्गम घाव था।

(v) एक अंडाकार घाव, आकार 3/4 इंच x 1/2 इंच x पेशी तक गहरा, बाईं जाँघ के बाहरी अग्र भाग पर पाया गया। इसके किनारे भीतर की ओर धंसे हुए थे तथा चारों ओर काला धब्बा था। — यह प्रवेश घाव था।

(vi) एक अंडाकार घाव, आकार 1 इंच x 1/4 इंच x 1 इंच गहरा, बाईं जाँघ के पिछले हिस्से पर पाया गया। इसके किनारे बाहर की ओर निकले हुए थे। — यह निर्गम घाव था।”

उक्त साक्षी ने आगे यह भी कहा कि मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव तथा आघातजन्य आघात था, जो उपर्युक्त चोटों के परिणामस्वरूप हुआ। उन्होंने यह

भी स्पष्ट किया कि ये सभी चोटें *अग्निशस्त्र* जैसे राइफल, बंदूक, पिस्तौल अथवा किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र से उत्पन्न हुई थीं।

15.1. प्रति-परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने विशेष रूप से कहा है कि केवल तीन आग्नेयास्त्र की चोटें पाई गईं और अन्य तीन उन चोटों के निकास घाव थे। उन्होंने आगे कहा था कि चोटों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गोलीबारी बहुत करीब से यानी 1 से 3 फीट के भीतर हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि चोटों से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के सामने की ओर से आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया गया था और मृतक के शरीर पर लगी चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। इस प्रकार की चोट, सामान्य रूप से, बिना किसी चिकित्सा सहायता के, बहुत कम समय के भीतर मृत्यु का कारण बनेगी। अंत में, उक्त गवाह ने कहा था कि प्रवेश घावों की तुलना में बाहर निकलने वाले घाव ऊपरी स्तर पर होते हैं।

16. अभियोजन द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत उपर्युक्त साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अभि.सा.-1, अभि.सा.-2 तथा अभि.सा.-3 को अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु अभि.सा.-8 रामानन्द राय तथा अभि.सा.-7 राम सकल राय ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण साक्षी घोषित किया गया। अतः तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

17. यह उल्लेखनीय है कि अभि.सा.-3 नितीश कुमार मृतक का पुत्र है, जबकि अभि.सा.-1 कैलाश राय मृतक का निकट संबंधी है। इसी प्रकार, अभि.सा.-2 भाग्य नारायण भी मृतक का निकट संबंधी है। इस प्रकार, अभियोजन का समर्थन करने वाले ये तीनों साक्षी स्वार्थ-संबंधित तथा रिश्तेदारी वाले साक्षी हैं, अतः जैसा कि पूर्व में कहा गया है, उनकी गवाही का गहन परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

18. यदि अभि.सा.-3 की गवाही को उसके द्वारा पुलिस को दिए गए फर्दबयान के साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि पहली बार इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह कहानी कही कि जब उसका पिता घर से बाज़ार गया तो वह अपनी माता के साथ घर में मौजूद था और पिता के जाने के बाद उसने चन्द्रिका राय की दूरभाष वार्ता सुनी। तत्पश्चात वह अपने चचेरे भाई मुन्ना के साथ बाज़ार गया और अपने पिता कामता राय को उक्त दूरभाष वार्ता के बारे में बताया। इस तथ्य का उल्लेख इस साक्षी ने पुलिस के समक्ष अपने पूरे बयान में भी नहीं किया था। जाँच अधिकारी (अभि.सा.-7 हरीश चन्द्र ठाकुर) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य की पुष्टि की।

19. इसी प्रकार, अभि.सा.-1 कैलाश राय तथा अभि.सा.-2 भाग्य नारायण ने भी कुछ बातें पहली बार न्यायालय में कहीं। जाँच अधिकारी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इसकी पुष्टि की।

20. अतः उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उन साक्षियों ने अपनी गवाही में सुधार कर नई कहानी पहली बार न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रतिरक्षा पक्ष ने भी इन साक्षियों की गवाही में प्रमुख विरोधाभास सिद्ध कर दिए हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के जिन साक्षियों को प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है, उनकी गवाही में सुधार तथा विरोधाभास पाए जाते हैं।

21. तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से आगे यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि उनकी कथनानुसार कामता राय जिस मोटरसाइकिल पर रामन राय के साथ बैठा था, उस मोटरसाइकिल के बाएँ ओर से लगभग 7-9 फीट की दूरी से गोलीबारी की गई। किन्तु यदि अभि.सा.-4, डॉ. बिपिन कुमार की गवाही तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाए, तो यह प्रकट होता है कि मृतक को लगी चोटों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हथियार का प्रयोग निकट से, अर्थात् 1-3 फीट की दूरी से तथा मृतक के सामने की ओर से किया

गया था। यह भी प्रकट होता है कि मृतक के शरीर पर लगी चोटें अत्यधिक रक्तस्राव उत्पन्न कर सकती हैं और यदि चिकित्सकीय सहायता न मिले तो स्वाभाविक रूप से अल्प समय में मृत्यु होना निश्चित है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि निकास-घाव की स्थिति प्रवेश-घाव से ऊँचाई पर थी।

21.1. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि चिकित्सकीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन से मेल नहीं खाता।

22. इस अवस्था में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार घायल कामता राय को दो अभियोजन साक्षियों द्वारा मोटरसाइकिल से उसके घर ले जाया गया, जहाँ वे लगभग 10-15 मिनट रुके। तत्पश्चात घायल को पहले टेम्पो से मुजफ्फरपुर चिकित्सालय ले जाया गया और मार्ग में एम्बुलेंस मिलने पर उसे एम्बुलेंस में स्थानांतरित किया गया। घायल ने लगभग 7:00 बजे सायं चिकित्सालय पहुँचने पर प्राण त्याग दिए। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि घायल कामता राय की मृत्यु घटना-समय से लगभग तीन घण्टे पश्चात हुई। इस स्तर पर यह स्मरणीय है कि प्रथम-सूचक के कथनानुसार घटना 4:00 बजे अपराह्न हुई थी और मृत्यु 7:00 बजे हुई।

एक बार पुनः यदि चिकित्सक (अभि.सा.-4) की गवाही पर दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि मृतक को प्राप्त घावों से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ होगा और यदि चिकित्सकीय उपचार न मिले तो सामान्य परिस्थितियों में अल्प अवधि में ही मृत्यु हो जाती। वर्तमान मामले में यह भी प्रकट होता है कि इन तीन घण्टों की अवधि में घायल को चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली।

23. अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी (अभि.सा.-5) ने कहा कि उसे दूरभाष द्वारा घटना की सूचना प्राप्त हुई और उक्त तथ्य को उसने थाना डायरी में अंकित किया। तत्पश्चात वह लगभग 6:00 बजे सायं घटनास्थल पर पहुँचा और रात्रि भर

वहीं ठहरा। घटनास्थल पर पहुँचने पर उपस्थित लोगों से उसे घायल का नाम तथा घटना किस प्रकार हुई इसकी जानकारी मिली। उक्त तथ्य उसने अपने केस-डायरी में अंकित किया। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि किसी ने भी वर्तमान अपीलार्थियों अथवा अन्य हमलावरों का नाम नहीं बताया। इस प्रकार अन्वेषण अधिकारी को यह ज्ञात था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संज्ञेय अपराध किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को अग्न्यास्त्र से चोट पहुँची है तथा घायल का नाम भी उसके संज्ञान में आ गया था। इसके उपरान्त भी उक्त सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना गया।

24. यह भी स्पष्ट होता है कि अभि.सा.-5, हरिशचन्द्र ठाकुर, जो इस मामले के अन्वेषण अधिकारी थे, उन्होंने यद्यपि घटनास्थल पर कुछ खून के धब्बे देखे, तथापि उन्होंने आवश्यक परीक्षण हेतु रक्तरंजित मिट्टी एकत्र नहीं की। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल पर उसे कोई खोखा, गोली अथवा छर्चा नहीं मिला।

25. अतः अभियोजन ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि भूमि-विवाद के कारण चिरंजीवी और कामता राय के मध्य तथा मार्ग-विवाद के कारण चंद्रिका राय और कामता राय (मृतक) के मध्य शत्रुता थी और इन्हीं कारणों से अभियुक्तों ने कामता राय की हत्या की। किन्तु अभियोजन ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर इसे सिद्ध करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, जब तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों को चिकित्सकीय साक्ष्य एवं अन्य परिस्थितियों के आलोक में विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता, तब यह पहलू अत्यन्त प्रासंगिक नहीं ठहरता। फिर भी, जब पक्षकारों के बीच शत्रुता हो, तो झूठे आरोपों की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने भी 13 प्रतिवाद साक्षियों को प्रस्तुत किया, अर्थात् अभि.सा.-1 राजनन्दन बैठा, अभि.सा.-2 सुरेन्द्र सिंह, अभि.सा.-3 चन्देश्वर साहनी, अभि.सा.-4 महेश सिंह, अभि.सा.-5 प्रेमशंकर साह, अभि.सा.-6 बाबूलाल भगत, अभि.सा.-7 ओमप्रकाश सिंह,

अभि.सा.-8 जयमंगल सिंह, अभि.सा.-9 सुभोध ठाकुर, अभि.सा.-10 सुरेश राय, अभि.सा.-11 बरूजी भगत, अभि.सा.-12 रामनाथ साह तथा अभि.सा.-13 शशिरंजन कुमार। इन प्रतिरक्षा साक्षियों ने अपने मुख्य-परीक्षण में मुख्यतः यह कहा कि वे मृतक कामता राय को जानते थे और मृतक के अपीलार्थी अनिल सिंह के साथ अच्छे संबंध थे। अपीलार्थी अनिल सिंह पंचायत समिति के चुनाव में निर्वाचित हुए थे और उनके बीच कोई शत्रुता नहीं थी। अभि.सा.-4, जिसकी पान की दुकान सिरखिरिया बाज़ार में थी, ने कहा कि उसने घटना देखी थी, किन्तु हमलावरों को पहचान नहीं पाया। अभि.सा.-5, जिसकी किराने की दुकान उसी बाज़ार में थी, ने भी कहा कि उसने घटना देखी, परन्तु हमलावरों की पहचान नहीं की। इसी प्रकार अभि.सा.-6, जिसकी चाय की दुकान बाज़ार में थी, ने कहा कि उसने घटना देखी, किन्तु हमलावरों को नहीं पहचान सका। अन्य प्रतिरक्षा साक्षियों ने यह कहा कि अपीलार्थी चंद्रिका राय को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है।

26. इस चरण पर अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर ने यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया कि जाँच अधिकारी हरिशचन्द्र ठाकुर को सूचना प्राप्त हुई कि सिरखिरिया बाजार में गोलीबारी हुई है। फलतः उक्त अधिकारी ने उस सूचना को थाना-डायरी में अंकित किया और तत्पश्चात् बाजार की ओर रवाना हुए। वे लगभग 06:00 बजे सायं बाजार पहुँचे और वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति कामता राय को गोली लगी है और उसे चिकित्सालय ले जाया गया है। घटनास्थल पर एकत्र लोगों ने यह भी कहा कि हमलावर अज्ञात थे। इस प्रकार संज्ञेय अपराध की घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी को मिल चुकी थी और उसके आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करना उसका कर्तव्य था। अतः उक्त सूचना को ही प्राथमिकी माना जाना चाहिए था।

अपने इस तर्क के समर्थन में श्री ठाकुर ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय *राज्य बनाम रतन सिंह* [(2020) 12 एस.सी.सी. 630] पर भरोसा किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय की कंडिका 8 और 9 में निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया है—

“8. इस न्यायालय ने अमितभाई अनिलचन्द्र शाह बनाम सी.बी.आई. के मामले में बल दिया है कि संज्ञेय अपराध के संबंध में जो सबसे प्रारम्भिक अथवा प्रथम सूचना दी जाती है, वही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की अपेक्षा की पूर्ति करती है और परिणामस्वरूप दूसरी प्राथमिकी का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ऐसी सूचना को “दूसरी प्राथमिकी” कहना असंगत अथवा हास्यास्पद है। सुबरमणियम बनाम तमिलनाडु राज्य में इस न्यायालय ने कहा कि यदि गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो ऐसी दूसरी सूचना साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। इसी प्रकार नल्लाबोथु रामुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि घायल गवाहों के बयानों को प्रथम सूचना न मानने से अभियोजन के संस्करण पर संदेह उत्पन्न होता है।

9. इस प्रकार, न केवल प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब हुआ (जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया) और जिसे इस मामले में अन्वेषण के आधार के रूप में लिया गया, बल्कि पुलिस को प्राप्त वास्तविक प्रथम सूचना का जानबूझकर दमन भी किया गया। ये सभी तत्व मिलकर अभियोजन के संस्करण की विश्वसनीयता पर गम्भीर संदेह उत्पन्न करते हैं और हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं कि अभियोजन द्वारा भिन्न रूप से मामला गढ़ने तथा यथासम्भव अधिकाधिक व्यक्तियों को अभियुक्त बनाने का प्रयास किया गया है।”

27. विद्वान अधिवक्ता ने एम्परर बनाम नज़ीर अहमद प्रकरण, ए.आई.आर. (32) 1945 प्रिवी काउंसिल 18 में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया :

“... परन्तु, किसी भी स्थिति में, सूचना प्रतिवेदन की प्राप्ति और उसका अभिलेखन, आपराधिक अन्वेषण को प्रारम्भ करने की पूर्वशर्त नहीं है। निस्संदेह, अधिकांश मामलों में आपराधिक अभियोजन उसी प्रकार से प्राप्त और अभिलिखित सूचना के आधार पर प्रारम्भ होते हैं, किन्तु माननीय न्यायाधीशों के विचार में ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि पुलिस को अपने स्वयं के ज्ञान से अथवा विश्वसनीय, यद्यपि अनौपचारिक, जानकारी से यह वास्तविक विश्वास हो जाए कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है, तो वे अपने विवेक से उस कथित विषय की सत्यता की जाँच प्रारम्भ न कर सकें। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 इस मत का समर्थन करती है, क्योंकि वह यह निर्देश देती है कि कोई पुलिस अधिकारी, जिसे सूचना अथवा अन्य किसी प्रकार से यह संदेह करने का कारण है कि कोई अपराध, जिसकी जाँच करने का अधिकार उसे धारा 156 के अधीन है, किया गया है, तो उसे तथ्यों और परिस्थितियों की जाँच करनी होगी। वस्तुतः, सूचना प्रतिवेदन (जिसे सामान्यतः प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहा जाता है) सम्बन्धी प्रावधान अन्य कारणों से बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य कथित आपराधिक गतिविधि के विषय में शीघ्र सूचना प्राप्त करना है, ताकि परिस्थितियों को उस समय अभिलेखित कर लिया जाए, जब तक कि उन्हें भुलाया या बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत न किया जा सके....।”

28. उपरोक्त टिप्पणियों से, यह कहा जा सकता है कि यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य था, जिसे संज्ञेय अपराध करने के संबंध में पूरी जानकारी मिली थी, कि वह प्राथमिकी दर्ज करे। हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में, उक्त अधिकारी ने रात्रि 09:15 बजे तक प्रतीक्षा की, जब मृतक के पुत्र ने अस्पताल में फ़र्दबयान दिया।

29. इसी संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृष्णगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 1657 में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया

गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 29 में निम्नलिखित अभिमत प्रकट किये थे:”

“29. जब चिकित्सीय प्रमाण और नेत्रसाक्षी प्रमाण में स्पष्ट विरोध हो, साथ ही मौखिक साक्ष्यों में भी गम्भीर विरोधाभास हो तथा जाँच में स्पष्ट त्रुटियाँ हों, तब संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य है।”

30. विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर, ने संजय खण्डेराव वडाने बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2017) 11 एस.सी.सी. 842 में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-13 में निम्नलिखित अभिमत प्रकट किये :

“13. कोई चिकित्सक-साक्षी, जो शव-परीक्षण (शव परीक्षण) करता है, वह वस्तुस्थिति का साक्षी होता है, यद्यपि वह प्रकरण के कुछ पहलुओं पर मत भी व्यक्त करता है। चिकित्सीय साक्षी का महत्व केवल नेत्रसाक्षियों की गवाही की जाँच तक सीमित नहीं है; यह स्वतन्त्र साक्ष्य भी है, क्योंकि यह अन्य मौखिक साक्ष्यों से परे कुछ तथ्य भी स्थापित कर सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि अभियोजन का कथन (फौजदारी वादों में) अथवा दावा (दीवानी वादों में) सत्य है या असत्य। इस प्रक्रिया में चिकित्सीय साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि चिकित्सीय प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में अथवा दो चिकित्सकों के चिकित्सीय साक्ष्यों में, जिनमें से एक ने घायल का परीक्षण किया हो और दूसरे ने मृत्यु के उपरान्त शव-परीक्षण किया हो, अथवा चोटों के सम्बन्ध में परस्पर असंगति अथवा अन्तर पाया जाता है, तो दण्डनीय मामलों में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाता है। परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष गवाही अविश्वसनीय पाई जाती है, वहाँ विश्वसनीय चिकित्सीय प्रमाण और अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाण के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।”

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश से यह कहा जा सकता है कि शव-परीक्षण करने वाला चिकित्सक वस्तुस्थिति का साक्षी होता है, यद्यपि वह कुछ पहलुओं पर मत भी प्रकट करता है। चिकित्सीय साक्षी का महत्व केवल नेत्रसाक्षियों की गवाही की जाँच तक सीमित नहीं है, यह स्वतन्त्र साक्ष्य भी है, क्योंकि यह अन्य मौखिक साक्ष्यों से परे कुछ तथ्य भी स्थापित कर सकता है। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया है कि चिकित्सीय प्रमाण अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि चिकित्सीय प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में अथवा दो चिकित्सकों के चिकित्सीय प्रमाणों में असंगति अथवा अन्तर हो, तो दण्डनीय मामलों में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है। परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष गवाही अविश्वसनीय हो, वहाँ विश्वसनीय चिकित्सीय प्रमाण तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

उपर्युक्त अवलोकनों से यह भी स्पष्ट होता है कि जब चिकित्सीय साक्ष्य और चश्मदीद साक्ष्य में स्पष्ट विरोध हो, साथ ही मौखिक साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास और जाँच में स्पष्ट त्रुटियाँ हों, तब अभियुक्त को संदेह का लाभ देना अनिवार्य हो जाता है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों—विशेषकर कथित चश्मदीद गवाहों की गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य—का पुनः परीक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कथित चश्मदीद गवाहों के अनुसार मृतक कामता राय जिस मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उसके बाएँ ओर से 7-9 फीट की दूरी से गोली चलाई गई थी। किन्तु डॉक्टर के बयान से यह स्पष्ट होता है कि गोली निकट दूरी (लगभग 1-3 फीट) से और मृतक के सामने से चलाई गई थी। डॉक्टर के बयान से यह भी प्रमाणित होता है कि मृतक के शरीर पर लगी चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव संभव था और ऐसी चोटें सामान्य रूप से मृत्यु को बहुत शीघ्र घटित कर सकती थीं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि घायल कामता राय की मृत्यु

लगभग तीन घंटे बाद हुई। घटनास्थल पर रक्तरंजित मिट्टी पाई गई थी, किन्तु जाँच अधिकारी ने उसे जाँच हेतु संकलित नहीं किया। आगे यह भी चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर निकास घाव प्रवेश घावों की तुलना में ऊपरी स्तर पर पाए गए। इस प्रकार चिकित्सीय एवं चश्मदीद साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त, विवेचना में भी गंभीर लापरवाहियाँ पाई गई—यद्यपि जाँच अधिकारी घटनास्थल पर दो घंटे के भीतर पहुँच गए थे, किन्तु उन्होंने स्वयं प्राथमिकी दर्ज नहीं की, न ही रक्तरंजित मिट्टी संकलित की। इसके अलावा उन्होंने उस मोटरसाइकिल को भी ज़ब्त नहीं किया, जिस पर मृतक कामता राय बैठे थे और जहाँ से उन्हें बाज़ार से उनके घर ले जाया गया था। साथ ही जाँच अधिकारी को घटनास्थल पर कोई खोखा, गोली अथवा छुरा भी नहीं मिला।

33. उपर्युक्त समस्त चर्चाओं के आलोक में, हमारा मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह से परे जाकर अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है।

34. ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय, सीतामढ़ी के माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.02.2019 को पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश, जो सत्र वाद सं. 151/2014 + 586/2014/64/2015 (रुन्नीसैदपुर थाना कांड सं.195/2012 से उत्पन्न) में दिया गया था, उसे दरकिनार किया जाता है।

35. अपीलकर्ताओं चंद्रिका राय, श्याम राय, कृष्णकांत केसरी, चिरंजीवी सागर उर्फ चिरंजीवी भगत और अनिल सिंह उर्फ अनिल कुमार सिंह को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर हैं, अतः उन्हें उनकी जमानत बंधपत्रों की जवाबदेही से मुक्त किया जाता है।

36. यदि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई जुर्माना जमा किया गया हो, तो उसे उन्हें वापस किया जाएगा।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।